



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072026-273209
CG-DL-E-07072026-273209

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2759]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 4, 2026/ज्येष्ठ 14, 1948

No. 2759]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 2026/JYAISTHA 14, 1948

विद्युत मंत्रालय
आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 2026

का.आ. 2853(अ).—जबकि मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, आवेदक ने जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस नेत्रा बिल्डिंग, ई-3, इकोटेक- II, उद्योग विहार, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201306, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना “राजस्थान के बीकानेर में प्रस्तावित 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पारेषण प्रणाली” में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या . 25-17/71/2024-PG दिनांक 26.07.2024 के द्वारा मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को ट्रांसमिशन योजना “राजस्थान के बीकानेर में प्रस्तावित 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पारेषण प्रणाली” में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग के बारे में स्थानीय अखबारों, हिंदुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी में) दिनांक 27.12.2024, राजस्थान पत्रिका और दैनिक युग पक्ष (हिंदी में) दिनांक 27.12.2024, तथा भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 22.03.2025 में प्रकाशन की तारीख से दो महीनों के भीतर आम जनता से अवलोकन/अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ने दिनांक 27.05.2026 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई थी कि भारत के अधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के दो महीनों के भीतर जनता से मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल

एनर्जी लिमिटेड को दो अवलोकन/अभ्यावेदन प्राप्त हुए। मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा उनका उत्तर दिया गया है और आगे कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ।

मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने दिनांक 11.04.2026 को एक वचन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन(नो) का मार्ग राजस्थान के संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) प्राथमिकता क्षेत्र के बाहर स्थित है, जैसा कि रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 के दिनांक 19.12.2025 के आदेश में संदर्भित है। आवेदक ने यह भी वचन दिया है कि वह उक्त निर्णय में निहित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्देशों तथा उक्त आदेश के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा भविष्य में जारी किए जाने वाले किसी भी निर्देश का पूर्णतः पालन करेगी। साथ ही, आवेदक ने यह भी बताया गया है कि ट्रांसमिशन लाइन का संरेखण इस प्रकार बेहतर बनाया गया है कि जहाँ तक संभव हो, वे अधिकतम साझा मार्ग का उपयोग करें।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के लिए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उन्हें वे सभी शक्तियाँ प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ लाइन्स के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइन्स और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड लाइन शामिल हैं:-

- एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट (जनरेशन स्विचयार्ड गाँव कालासर, जिला बीकानेर, राजस्थान में स्थित) से बीकानेर-III (ISTS) PS तक 220 kV D/c लाइन

इस योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन राजस्थान राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

क्र.सं.	गांव	तहसील	जिला	राज्य
1.	बरजू,	पूगल	बीकानेर	राजस्थान
2.	सरदारपूरा, केलां	छत्तरगढ	बीकानेर	राजस्थान
3.	लखूसर, कालासर	बीकानेर	बीकानेर	राजस्थान

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियाँ निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।
- मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

- vii. यदि, उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) जीआईबी (क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका सिविल संख्या 838/2019 के दिनांक 19.12.2025 के आदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दिए गए किसी भी अन्य निर्देश का पालन करना होगा।

[फा. सं. 25-16/49/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 2026

S.O. 2853(E).—Whereas M/s NTPC Renewable Energy Limited, the applicant with its registered office at NETRA Building, E-3, Ecotech- II, Udyog Vihar, Goutam Buddha Nagar, Greater Noida, Uttar Pradesh-201306, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme, “Transmission System for providing connectivity to M/s NTPC Renewable Energy Limited for its proposed 500 MW Solar Power Project in Bikaner, Rajasthan”

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its File No. 25-17/71/2024-PG dated 26th July, 2024 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme, “Transmission System for providing connectivity to M/s NTPC Renewable Energy Limited for its proposed 500 MW Solar Power Project in Bikaner, Rajasthan”

M/s NTPC Renewable Energy Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers Hindustan Times (in English) dated 27.12.2024, Rajasthan Patrika (in Hindi) and Dainik Yug Paksh (in Hindi) dated 27.12.2024 and in Weekly Gazette of India dated 22.03.2025 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s NTPC Renewable Energy Limited has submitted an affidavit dated 27.05.2026 declaring that two observations/representations were received within two months from the date of Publication in the Newspaper/official Gazette of Government of India, which was subsequently cleared.

M/s NTPC Renewable Energy Limited had submitted an Undertaking dated 11.04.2026 stating that the route of the proposed overhead transmission line(s) is located outside the Revised Great Indian Bustard (GIB) Priority Area of Rajasthan and Gujarat, as referred to in the judgment of the Hon’ble Supreme Court of India dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019; the applicant has further undertaken to comply with all directions of the Hon’ble Supreme Court as contained in the said judgment as well as with any subsequent directions issued by the competent authorities in pursuance of the above order by the Hon’ble Supreme Court, and has also stated that the transmission line alignment has been optimized, in such a way that they share maximum common stretch to the extent possible.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of overhead transmission line for M/s NTPC Renewable Energy Limited. The following overhead transmission line is covered under this scheme:

- NTPC Renewable Energy Limited Solar Power Project (generation switchyard located in Village Kalasar, District Bikaner, Rajasthan) - Bikaner-III (ISTS) PS 220 kV D/c line

The overhead transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Rajasthan:

Sr. no	Villages	Tehsil	District	State
1	Barju	Poogal	Bikaner	Rajasthan
2	Sardarpura, Kelan	Chattargarh	Bikaner	Rajasthan
3	Lakhusar, Kalasar	Bikaner	Bikaner	Rajasthan

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to **M/s NTPC Renewable Energy Limited** for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- i. The approval is granted for 25 years.
- ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- iii. The Applicant shall have to follow regulations/ codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.
- iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. M/s NTPC Renewable Energy Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.
- vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Revised Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the directions of Hon'ble Supreme Court of India in its order dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019 and any other directions given by competent authorities in pursuance of the above order by Hon'ble Supreme Court.

[F. No. 25-16/49/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secretary (PG)